

राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस

क्रमांक: एफ.4(28)ग्रावि/नरेगा/ एनआरईजीएस/08-09 जयपुर,दिनांक: 22.04.2009

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
(समस्त) राजस्थान

**विषय: नरेगा कार्यो पर कार्यरत श्रमिकों के भुगतान की प्रक्रिया
के संबंध में।**

महोदय,

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2009 द्वारा अपवाद स्वरूप प्रकरणों में श्रमिकों को नकद भुगतान की अनुमति दी गई थी। इस छूट का दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। अतः नकद भुगतान करने के विशिष्ट प्रकरणों में संबंधित द्वारा आपसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ही ऐसा किया जाये।

भवदीय,

(RM 22/4/09)

(राजेन्द्र भाणावत)

शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं
आयुक्त, ईजीएस